नगर निगम की मोबाइल कोर्ट ने बनाए 50 प्रकरण

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 84 हजार का जुर्माना लगाया

नवभारत न्यूज

ग्वालियर,11अप्रैल। नगर निगम मजिस्ट्रेट निशांत मिश्रा के नेतृत्व में संचालित मोबाइल कोर्ट द्वारा शहर में गंदगी फैलाने और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। इस दौरान नगर निगम और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण कर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 84 हजार का जुर्माना लगाया। मोबाइल कोर्ट में कुल 50 प्रकरण बनाए गए, जिसमें जुर्माना स्वीकार करने पर ऑन स्पॉट 35 प्रकरणों में समरी ट्रायल की कार्रवाई की गई तथा शेष 15 प्रकरण जिसमें जुर्माना राशि जमा करना स्वीकार नहीं किया गया है उन्हें माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

नोडल अधिकारी विधि श्री अनूप लिटोरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्रवाई के दौरान अचलेश्वर स्थित सोहन डेयरी, नई सड़क स्थित शेरे ए पंजाब होटल, डीडी मॉल के पास होटल क्लार्क इन और सिटी सेंटर स्थित रेडिसन होटल पर खाद्य विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए। साथ ही, इन स्थानों पर गंदगी और अस्थायी अतिक्रमण पाए जाने पर नगर निगम अधिनियम के तहत मौके पर ही जुर्माना किया गया।

इसके अतिरिक्त अचलेश्वर क्षेत्र में शंकर कुल्फी, अन्ना पाव भाजी सहित अन्य दुकानों, महाराज बाड़ा स्थित गांधी मार्केट और सराफा बाजार के दुकानदारों, शिंदे की छावनी के ऑटो पार्ट्स व्यापारियों द्वारा दुकानों के बाहर सामान रखने तथा रेलवे स्टेशन के बाहर गंदगी पाए जाने पर भी कार्रवाई की गई।

नगर निगम की टीम ने गंदगी फैलाने और अस्थायी अतिक्रमण करने वालों पर कुल 84,000 रुपये का जुर्माना वसूला।

इस दौरान नगर निगम के नोडल अधिकारी विधि श्री अनूप लिटोरिया, नोडल अधिकारी मदाखलत श्री केशव सिंह चौहान, मदाखलत अधिकारी श्री सत्येंद्र भदोरिया, स्वास्थ्य अधिकारी श्री भीष्म पमनानी, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री गौरव सेन सहित मदाखलत अमला और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर में स्वच्छता और सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

इंदापुरकर की पुण्यतिथि मनी

ग्वालियर। आज ग्वालियर महानगर भाजपा कार्यालय में पूर्व महापौर स्वर्गीय माधव शंकर इंदापुरकर की 12वीं पुण्यतिथि पर आयोजित स्मृति सभा में वक्ताओं ने कहा कि उनका सरल व्यक्तित्व, आत्मीय व्यवहार और समाज व संगठन के प्रति समर्पित जीवन आज भी मार्गदर्शन देता है। वे केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि मूल्यों की जीवंत परंपरा थे।

गर्मी में प्यास बुझाने खराब पड़े हैडपम्प सुधरवा रहे पार्षद

नवभारत न्यूज

ग्वालियर,11अप्रैल। गर्मी का मौसम शुरू होते ही पार्षद धर्मेंद्र किरण वर्मा ने अपने क्षेत्र वार्ड क्रमांक 17 के बिजासेन बड़ी माता मंदिर पर लगभग 12 वर्षों से बंद पड़े पानी के हेडपंप को क्षेत्रीय जनता की मांग पर चालू करवाया गया जिससे की क्षेत्र की माता बहनों को मंदिर परिसर में शुद्ध पानी मिल सके। जनता ने पार्षद के इस कार्य की सराहना की है।

डॉ. आंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में विकासखंड स्तरीय सम्मेलन आयोजित

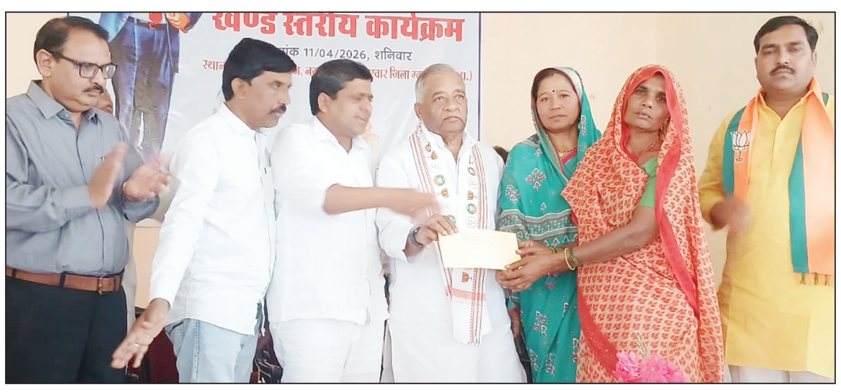

ग्वालियर। शासन के निर्देशानुसार भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में जनपद पंचायत भितरवार द्वारा विकासखंड स्तरीय सम्मेलन का आयोजन सामुदायिक भवन, नगर परिषद भितरवार में किया गया। इस अवसर पर हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ वितरित कर प्रमाण पत्र दिए गए। सम्मेलन के मुख्य अतिथि विधायक भितरवार श्री मोहन सिंह राठौर रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मीनारायण राजे ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर परिषद अध्यक्ष श्री बलदेव अग्रवाल एवं मंडल अध्यक्ष श्री नरेन्द्र रावत उपस्थित रहे। इसके अलावा पार्षद, जनपद सदस्य एवं लगभग 450 नागरिकों की सहभागिता रही। कार्यक्रम का शुभारंभ बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों की हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी दी और आमजन को लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। सम्मेलन में हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। संबल योजना के तहत रचना जाटव, भूपेन्द्र कुशवाह, सूरज बाथम (मोहनगढ़) एवं चन्द्रभान सिंह रावत (रिछारी कला) को कुल 8 लाख रुपये की अनुग्रह सहायता स्वीकृत की गई। वहीं लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत नायरा अग्रवाल, याशिका प्रजापति, काव्या साहू, जानवी जाटव, अनाया बानो एवं निशा तिवारी को लाभान्वित किया गया।

पृथ्वी ताल का बदला स्वरूप : जल गंगा संवर्धन अभियान से ग्वालियर को मिला नया हरित-जल धरोहर

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 11 अप्रैल। नगर निगम ग्वालियर द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत वार्ड 61 स्थित पृथ्वी ताल के सौंदर्यकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। आज निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय ने स्थल का निरीक्षण कर कार्यों की समीक्षा की।

निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने पृथ्वी ताल की एप्रोच रोड को और बेहतर बनाने, क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने तथा शेष छोटे-मोटे कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर अपर आयुक्त श्री टी. प्रतीक राव, श्री मुनीश सिंह सिकरवार, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेश अहिरवार, श्री पवन सिंघल, उपायुक्त श्री मुकेश बंसल, सहायक यंत्री श्री अमित गुप्ता, श्री पवन शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

करीब 7.27 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला पृथ्वी ताल जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। परियोजना के तहत तालाब में जमा गाद और सिल्ट की सफाई कर उसकी जलधारण क्षमता को बढ़ाया जा रहा है, जिससे वर्षा जल का अधिक संचयन संभव हो सके। साथ ही जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए जलीय पौधों का उपयोग भी किया जाएगा।

नगर निगम द्वारा इस परियोजना पर लगभग 3.49 करोड़ रुपये (जीएसटी सहित) की लागत से कार्य कराया जा रहा है। प्रमुख कार्यों में तालाब के दोनों ओर सफाई, जल निकासी चैनलों का सुदृढ़ीकरण, एप्रन पर स्टोन पिचिंग और वॉकिंग ट्रैक का निर्माण शामिल है। इसके अतिरिक्त नागरिकों की सुविधा के लिए बैठने की व्यवस्था, आधुनिक लाइटिंग सिस्टम तथा हरित क्षेत्र का विकास भी किया जा रहा है।

भगवान साधना से नहीं प्रेम से मिलते हैं – गोस्वामी शरद कुमार

नवभारत न्यूज

ग्वालियर,11अप्रैल। श्रीमद वल्लभाचार्य जी के 549 वें प्राकट्य महोत्सव के द्वितीय दिन अंतर्राष्ट्रीय पुष्टिमार्गीय वैष्णव परिषद द्वारा पुष्टिमार्गीय पदों की अंताक्षरी में अत्यंत हर्ष के साथ में ऐसे पदों का गान किया जो आज पुस्तकों में बहुत ही दुर्लभता से मिलते हैं इसके साथ ही लिखित प्रश्नोत्तरी परीक्षा का आयोजन हुआ जिसमें 10 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के वैष्णवन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तत्पश्चात पूज्य पाद गोस्वामी श्री 108 श्री शरद कुमार जी ने अपने वाचनामृत में कहा भगवान साधन से नहीं मिलते उनको पाने के लिए उनकी ही कृपा होना आवश्यक है और वह तभी होती है जब हमारे हृदय में ताप होता है जीव में ना तो सामर्थ्य है ना ही योग्यता है कि वह प्रभु को प्रसन्न कर सके पर जब मन में ताप होता है पर वह ताप तब आता है जब हमारा मन सदैव प्रभु में लगा रहता है।

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना
भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक19 वार्ड क्रमांक 46 स्थान राज पाएगा रोड में स्थित है जो कि पदमा चौबे/भरत चौबे, अमन चौबे/भरत चौबे, हेमंत प्रताप/गिरधारी सिंह नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 1198 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आर-28032600559755 दिनांक 30/3/2026 से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अर्न्तगत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र गोरखी स्काउट दिनांक 10/04/2026 को किया गया है. जिसका आवेदन कार्य क्रमांक 82/2011/25314/25403 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 205, 202 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 11-4-2026
दीपिका बंसल/जुगल किशोर, मालती बंसल, जुगल किशोर/प्रसादी लाल बंसल
पता : राज पाएगा रोड, ग्वालियर(म.प्र.)

Name change

I, **HITHERTO** known as **Arun Kumar** S/O Amar Singh R/o Mohar Singh Ka Pura Bhind Madhya Pradesh 477001 have changed my name and shall hereafter be known as Shersingh. The information I provided is correct

Name change

I, **MOHD RIYAJ** S/O **MOHAMMAD ILYAS.** HAVE CHANGED MY NAME AS **MOHD RIYAZ.** NOW I WILL KNOWN BY MY NEW NAME AS **MOHD RIYAZ.**
ADD.- MASJID AUSHA RAMAJI KA PURA A.B.ROAD GIRD GWALIOR (M.P.)- 474001

Name change

I, **ANKIT AGARWAL** S/O **RAMESH AGARWAL.** HAVE CHANGED MY NAME AS **ANKIT AGRAWAL.** NOW I WILL KNOWN BY MY NEW NAME AS **ANKIT AGRAWAL.**
ADD.- RAM SWAROOP RAMESH CHAND GUBBARA FATAK LOHIYA BAZAR LASHKAR GWALIOR (M.P.)- 474001

नाम परिवर्तन सूचना

मैं **विपिन सिंह रावत** पुत्र **श्री भगवान सिंह रावत** निवासी- लक्ष्मी कॉलोनी, वार्ड नं. 10 डबरा, ग्वालियर शपथ करता हूं कि मेरी पुत्री की अंकसूची/ आधार कार्ड आदि समस्त दस्तावेजों में नाम **नव्या रावत** (**NAVYA RAWAT**) दर्ज है। अतः मुझ शपथकर्ता ने अब अपनी पुत्री का नाम परिवर्तित कर **जुस्टियाना** (**JUSTIANA**) पुत्री **विपिन सिंह रावत** (**VIPIN SINGH RAWAT**) कर लिया है। अब भविष्य में मेरी पुत्री को उसके परिवर्तित नाम **जुस्टियाना** (**JUSTIANA**) के नाम से ही जाना-पहचाना एवं लिखा- पढ़ा जावे।

CHANGE OF NAME

I, hitherto known as **ABHISHEK PAL S/o MOHAN SINGH** R/o Bahangikalan, PO: Bijoli, District Gwalior, Madhya Pradesh-474006, have changed my name and shall hereafter be known as **BIBEK**. Vide Affidavit No. BX 717728

CHANGE OF NAME

I, **MAHENDRA SINGH S/O KALYAN SINGH** R/o Gram Pratappura, Post Pratappura, Ater, PO: Bhind, District Bhind, Madhya Pradesh-477001, have changed the name of my minor son MOHIT NIGAM aged 11 years and he shall hereafter be known as **MANU NIGAM**. Vide Affidavit No. BX 78AA 285868

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमान रामऔतार सविता पुत्र श्री संतोषी लाल सविता के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की एक अचल संपत्ति जिसका वार्ड क्र. 07, ग्राम मुरैना गाँव एवं तहसील मुरैना नगर व जिला मुरैना मध्यप्रदेश के सर्वे क्र. 854/2 की होकर जिसकी चतुर्सीमाः- पूर्व में- आम रास्ता 25 फुट चौड़ा, पश्चिम में-खेत विक्रेता, उत्तर में- आम रास्ता 20 फुट चौड़ा, दक्षिण में- प्लॉट विक्रेता व कुल क्षेत्रफल 1000 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति पूर्व में श्रीमान संतोष, श्रीमान रिंकी पुत्रगण स्व. श्री रामबाबू, गुड्डी, कमलेश पुत्रियाँ स्व. श्री रामबाबू एवं श्रीमती मधु पत्नी स्व. श्री रामबाबू के स्वत्व, स्वामित्व व संयुक्त आधिपत्य की थी जिसका उल्लेख राजस्व विभाग के दस्तावेजों में विधिवत दर्ज है। तत्पश्चात, केवल श्रीमान संतोष शर्मा पुत्र स्व. श्री रामबाबू शर्मा द्वारा श्रीमान रामऔतार सविता पुत्र श्री संतोषी लाल सविता को ई-रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र विलेख दस्तावेज क्र. MP25792016A1507815 व दिनांक 31.08.2016 से विक्रय की गई। अतः उक्त संपत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान ग्वालियर के समक्ष उक्त संपत्ति पर ऋण प्राप्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत होकर बंधक किए जाना प्रस्तावित है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय, बैंक या किसी अन्य उत्तराधिकारी का किसी पूर्ण या अंश भाग पर या किसी भी संस्था की कोई राशि अवशेष हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 07 (सात दिवस) की अवधि में विधिवत अपने दावे के समर्थन में समस्त प्रपत्र सहित मेरे कार्यालय में संपर्क कर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा वर्णित अवधि के अवसान उपरांत समस्त आपत्तियां इस सूचना प्रपत्र के समक्ष व्यर्थ, शून्य व प्रभावहीन होगी और उक्त संपत्ति पर प्रदत्त ऋण हेतु बंधककर्ता वित्तीय संस्थान का अधिकार सर्वोपरि होगा। कृपया सूचित हो।
इति दिनांक :- 11.04.2026
प्रेषक- **विशाल अग्रवाल** (अधिवक्ता)
कार्यालय- 'मैसर्स श्री हीरानन्द लीगल कंसल्टेंट'
ग्राउंड फ्लोर यादव मार्केट, जीवाजी यूनिवर्सिटी गेट नं. 2 के पास, सिटी सेन्टर, ग्वालियर
मो. 9826820987

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना
भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 01 वार्ड क्रमांक 04 स्थान टी-405,सिल्वर अपार्टमेंट गालव नगर में स्थित है जो कि रचना कौशिक/विनोद नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 1000238960 पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 630 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एमपी21/जीआर17402025 ए100654806 दिनांक 25/7/2025 से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अर्न्तगत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 205, 202 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 11-4-2026
कल्पना सोलंकी/अनिल सोलंकी
पता : टी-405,सिल्वर अपार्टमेंट, गालव नगर, ग्वालियर(म.प्र.)
मोब-9630824000

IN THE COURT OF XIV CIVIL JUDGE CLASS-II, DISTRICT COURT, GWALIOR

Presiding Officer: विशाल जेठवा

आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु
(RCS A/6700137/2016)
सुखवीर सिंह यादव..........वादी
vs
श्रीमती मल्लिका बेगम..........प्रतिवादी
Process ID-16/2024, पेशी दिनांक: 28/04/2026
प्रेषिती- (1) नरोत्तम सिंह तोमर पिता स्व. अहिवरन सिंह तोमर, पताः 118 सिंधी कॉलोनी कम्पू लश्कर, ग्वालियर

यह कि प्रार्थी **सुखवीर सिंह यादव** आपके विरुद्ध के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के **30 दिवस** के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/हाजिर होने के लये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज तारीख **09 अप्रैल 2026** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है

न्यायाधीश, (विशाल जेठवा)
चतुर्थदशम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, ग्वालियर (म.प्र.)
नोटः यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।

एक स्टेशन एक उत्पाद योजना का विशिष्ट आयोजन

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट में एक स्टेशन एक उत्पाद योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना में भारतीय रेलवे के समस्त स्टेशन पर Vocal for Local Vision के तहत स्थानीय उत्पाद को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वाणिज्य परिपत्र सं0 12 of 2022 दिनांक 20.05.2022, 15 of 2022 दिनांक 10.08.2022, 18 of 2022 दिनांक 20.09.2022, 09 of 2023 दिनांक 24.05.2023 एवं 29.09.2023 के अंतर्गत स्थानीय व्यक्तियों, पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था, स्वयं सेवी समूह, एनजीओ आदि को स्टाल एवं शो केस उपलब्ध कराना है। उत्तर मध्य रेलवे, झाँसी मंडल द्वारा भी इस योजना के तहत निम्न स्टेशनों पर स्टॉल/ट्राली के माध्यम से विक्रय/सहप्रचार केंद्र की सुविधा उपलब्ध करवा रहा है।

स्टेशनों की सूची

(1) वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी, (2) ग्वालियर, (3) दतिया, (4) डबरा, (5) मुरैना, (6) भिंड, (7) महोबा, (8) खजुराहो, (9) छतरपुर, (10) चित्रकूट धाम कर्वी, (11) उरई, (12) पुखरायां, (13) मऊरानीपुर, (14) बाँदा, (15) ललितपुर, (16) टीकमगढ़, (17) बिरलानगर, (18) भरवासुमेरपुर, (19) खरगापुर, (20) सरकनपुर, (21) बबीना, (22) अतर्रा, (23) कालपी, (24) ओरछा, (25) बरुआसागर, (26) तालबेहट, (27) शनिचरा, (28) एट, (29) ईशानगर, (30) हरपालपुर एवं (31) घाटमपुर।

योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

1. इस योजना के अंतर्गत रेलवे प्रशासन स्वतः स्टाल/ट्राली बनवाकर उपलब्ध कराएगी।
2. पंजीकरण शुल्कः चयनित आवेदक को पंजीकरण फीस के रूप में 15 दिनों के लिए NSG-1 - NSG-3 श्रेणी तक के लिए रू. 1000/- तथा NSG-4 - NSG-6 श्रेणी के लिए रू. 500/- भुगतान करना होगा।
3. विद्युत प्रभार उपभोग के आधार पर लिया जाएगा एवं जैसा वाणिज्य परिपत्र सं. 09/2023 दिनांक 24.05.2023 में निर्देशित है।
4. प्रभावी टैक्स की देनदारी आवंटी की होगी, इसके लिए रेल प्रसाशन जिम्मेवार नहीं होगा।
5. इस स्टाल पर स्थानीय उत्पाद, हस्तशिल्प, हैंडलूम, स्थानीय कृषि उत्पाद, स्थानीय कारीगरी, संशाधित एवं अर्ध संशाधित खाद्य पदार्थ, परंपरागत परिधान, कपड़ा एवं हथकरघा, लकड़ी अथवा मिटटी से बनी वस्तुए, खिलौने आदि को विक्रय किया जा सकता है।
6. उपरोक्त स्टेशन के अलावा यदि कोई व्यक्ति/संस्थाएं किसी अन्य स्टेशन के लिए आवेदन देने के लिए इच्छुक हो तो वह अपना आवेदन सम्बंधित रेलवे स्टेशन पर स्टेशन प्रबंधक/अधीक्षक कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

इच्छुक व्यक्ति/संस्थाएं स्वयं सेवी संस्था, स्वयं सेवी समूह, एनजीओ आदि अपना आवेदन सभी प्रमाण पत्र के साथ सम्बंधित स्टेशन प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे के कार्यालय में जमा कर सकते हैं एवं अन्य किसी प्रकार की सहायता के लिए खण्ड के वाणिज्य निरीक्षक से सम्पर्क कर सकते हैं।

क्र. सं.	स्टेशन	इस योजना से संबंधित किसी भी जानकारी हेतु निम्नलिखित खण्ड वाणिज्य निरीक्षक से संपर्क कर सकते हैं	दूरभाष नं.
1	वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी	श्री मनोज तिवारी	9794838962
2	ग्वालियर	श्री वाई. के. मीना	9752448976
3	मुरैना, बिरलानगर	श्री विनीत भल्ला	9752448078
4	भिंड, बामौर गाँव	श्री रूप सिंह मीना	9752448977
5	महोबा, हरपालपुर	श्री रऊफ खान	9794838983
6	खजुराहो, छतरपुर, टीकमगढ़ खरगापुर, सरकनपुर, ईशानगर	श्री स्वतंत्र पाटकर	9794838964
7	चित्रकूट धाम कर्वी, अतर्रा	श्री राजेश्वर मिश्र	9794838981
8	उरई, पुखरायां, कालपी, ऐट	श्री सत्येन्द्र बंसल	9794838982
9	मऊरानीपुर, ओरछा, टेहरका	श्री जयकुमार	9794838969
10	बाँदा, भरवासुमेरपुर	श्री राजकुमार	9794831230
11	ललितपुर, तालबेहट	श्री संजय चौबे	9794838984
12	दतिया, डबरा, बबीना	श्री मनीष साहू	9794831247
13	घाटमपुर	श्री एस. के. सोनकर	9305101291

इस योजना से संबंधित अन्य कोई जानकारी हेतु खानपान विभाग, मंडल रेल प्रबंधक (वाणिज्य) कार्यालय, उत्तर मध्य रेलवे झाँसी एवं ई मेल- cateringcelljhs@gmail.com से संपर्क कर सकते है।

नोटः OSOP में प्रतिभागियों का चयन इस बात को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है कि इस योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर/दिव्यांग वर्गो तक पहुँचना है। इस योजना में निम्नलिखित को प्राथमिकता दी जाएगीः

- विकास आयुक्त, हस्तशिल्प, विकास आयुक्त हथकरघा या अपेक्षित राज्य/केंद्र सरकार प्राधिकरण द्वारा जारी कारीगर/बुनकर, आई डी कार्ड धारक।
- भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (TRIFED) / राष्ट्रीय हथकरधा विकास निगम (NHDC) / खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) आदि में नामांकित/पंजीकृत व्यक्तिगत कारीगर/बुनकर/शिल्पकार।
- पीएमईजीपी (प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम) के साथ पंजीकृत स्वयं सहायता समूह।
- समाज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग।
- व्यक्तिगत कारीगर/बुनकर/शिल्पकार/एम.एस.एम. ई मंत्रालय के उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों से जुड़े शिल्पकार आदि और गैर सरकारी संगठन/व्यक्ति/कारीगर/बुनकर/सामाजिक संगठनों, राज्य सरकार से जुड़े शिल्पकार निकाय, आदि।
- व्यक्ति, कारीगर, बुनकर, शिल्पकार जैसे पी.एम. विश्वकर्मा योजना आदि से जुड़े/पंजीकृत पंजीकृत स्वयं सहायता समूह।
- **दिव्यांगजन (Persons with Disabilities) को प्राथमिकता दी जाएगी**

उत्तर मध्य रेलवे
गतिशीलता ही हमारी पहचान
783/26 (A)
North central railways | @CPRONCR | www.ncr.indianrailways.gov.in

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्र 24, वार्ड क्रं 65,स्थान अजयपुर ग्वा0 मे स्थित है जो कि आरती धाकर/आशाराम के नाम से नगर निगम मे आई डी क्रं 2000202288 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफ्ल 608 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं R-25032600518950 दिनांक 25.03.2026 द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र अजयपुर, क्षे.क्र 24, पर दिनांक 10.04.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी/ को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता-
गायत्री देवी/नितिन कुमार
पता-अजयपुर ग्वा0 (म.प्र.),मो0-9516866354
विज्ञप्ति जारी दिनांक-11.04.2026

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्र 24, वार्ड क्रं 65,स्थान वीरपुर ग्वा0 मे स्थित है जो कि वृन्दावन सिंह/ ईश्वरलाल के नाम से नगर निगम मे आई डी क्रं पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफ्ल 800 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं एमपी142602023ए12373856 दिनांक 15.09.2023 द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र अजयपुर, क्षे.क्र 24, पर दिनांक को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी/ को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता-
राय सिंह/गुलाब सिंह
पता-वीरपुर ग्वा0 (म.प्र.),मो0-9074442022
विज्ञप्ति जारी दिनांक-11.04.2026

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्र 24, वार्ड क्रं 65,स्थान गिरवाई ग्वा0 मे स्थित है जो कि देवीलाल उर्फ देवीदयालु कुशवाह के नाम से नगर निगम मे आई डी क्रं 9000216773 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफ्ल 668 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं एमपी142602023ए12053740 दिनांक 27.06.2023 द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र अजयपुर, क्षे.क्र 24, पर दिनांक 30.03.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी/ को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता-
कल्लू प्रजापति/सुखलाल प्रजापति
पता-गिरवाई ग्वा0 (म.प्र.),मो0-9777568857
विज्ञप्ति जारी दिनांक-11.04.2026

आम सूचना

श्री दिलीप कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामजी लाल गुप्ता के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति म्युनिसिपल भवन क्र.283, स्थित शेख की बगिया, लश्कर, तहसील व जिला ग्वालियर (म.प्र.) में है जो नगर निगम ग्वालियर वार्ड क्र.35 में स्थित है एवं जिसका क्षेत्रफल 390 वर्गफुट है और जिसकी चर्तुसीमा निम्न प्रकार है : - पूर्व में-भवन राजेश शर्मा, पश्चिम में- रास्ता, उत्तर में-बगिया एवं दक्षिण में-रास्ता है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्री मोहम्मद खान पुत्र श्री अमीर खान के स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री मोहम्मद खान द्वारा उक्त सम्पत्ति श्रीमती विशन देवी पत्नी स्व. श्री जगमोहन सिंह को विक्रय विलेख दिनांक 14.09.1950 से विक्रय की गई। श्रीमती विशन देवी का स्वर्गवास हो जाने के उपरांत, उनके उत्तराधिकारी श्री बालकिशन पुत्र स्व. श्री जगमोहन उनकी सम्पत्ति के मालिक हुये एवं नगर निगम ग्वालियर में अपना नाम इंद्राज कराया गया। श्री बालकिशन का स्वर्गवास हो जाने के उपरांत, उनके उत्तराधिकारी श्रीमती पुष्पलता पाल पत्नी स्व. श्री बालकिशन उनकी सम्पत्ति के मालिक हुये एवं नगर निगम ग्वालियर में अपना नाम इंद्राज कराया गया। श्रीमती पुष्पलता पाल द्वारा श्रीमती नीलम पाल पत्नी श्री रविन्द्र सिंह पाल पुत्री स्व. श्री बालकिशन पाल सिंह की सहमति से उक्त सम्पत्ति श्री दिलीप कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामजी लाल गुप्ता को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र. एमपी 142602021 ए11041888 दिनांक 10.12.2021 से विक्रय की गई। श्री दिलीप कुमार गुप्ता द्वारा उक्त सम्पत्ति को विक्रय किये जाने हेतु श्रीमती वैशाली राठौर पत्नी श्री विनीत राठौर के पक्ष में एक लिखतम विक्रय अनुबन्ध पत्र सम्पादित किया जा चुका है एवं रजिस्टर्ड विक्रय विलेख सम्पादित किया जाना शेष है। श्रीमती वैशाली राठौर द्वारा उक्त सम्पत्ति को क्रय किये जाने हेतु मेरे पक्षकार जना स्मॉल फायनेंस बैंक लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं श्रीमती विशन देवी एवं श्री बालकिशन के अन्य उत्तराधिकारियो को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 14 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हों।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. -भवन क्र. 52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.),
मो.नं. 98276-72710

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 24 वार्ड क्रं. 65, भवन क्रं. .., स्थानः गिरवाई पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती श्री रोकड़िया सरकार कन्ट्रक्शन कम्पनी के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. .... पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 1680 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्रं. MP142602025 A1252902 दिनांक 31.03.2025 के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र अजयपुर क्षे.क्रं. 24 पर दिनांक .. को किया गया है जिसका आवेदन कार्य क्रं. .. प्र.क्रं.*3/11 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियम अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
श्रीमती बबीता गोयल पत्नी श्री संजय गोयल
पताः गिरवाई, वार्ड-65, मो. 8817403372
विज्ञप्ति जारी दिनांकः 11-04-2026

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 24 वार्ड क्रं. 65, भवन क्रं. .., स्थानः वीरपुर पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती धरमपाल सिंह कुशवाह / श्री अजमेर सिंह कुशवाह के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. 1004553561 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 1025 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्रं. MP142602023A11751724 दिनांक 21.04.2023 के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र अजयपुर क्षे.क्रं. 24 पर दिनांक ... को किया गया है जिसका आवेदन कार्य क्रं. .. प्र.क्रं. *3/11 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियम अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
ज्योति सोनी / श्री शिव कुमार सोनी
पताः वीरपुर, वार्ड-65, मो. 8349577873
विज्ञप्ति जारी दिनांकः 11-04-2026

आम सूचना

आम व खास को सूचित किया जाता है कि आवेदक अरविन्द सिंह गुर्जर पुत्र श्री पंजाब सिंह गुर्जर, निवासी - राजपुरा जागीर, पचेखा, मुरैना (म.प्र.) ने भावी बिक्रेता राजवीर सिंह गुर्जर पुत्र श्री पंचम सिंह गुर्जर, निवासी - महाराजपुरा, ग्वालियर (म.प्र.) के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य के एक प्लॉट क्रमांक 304, जिसका क्षेत्रफल 1250 वर्गफिट होकर जो सर्वे क्रमांक 201 व 206 का भाग, ग्राम विक्रमपुर, न. नि. वार्ड क्र. 62, भगवान सिंह नगर, तहसील एवं जिला ग्वालियर (म.प्र.) में स्थित होकर जिसके पूर्व में भवन जाटव व भूमि दीगर, पश्चिम में 20 फीट रोड, उत्तर में प्लॉट क्रमांक 305 बिक्रेता का एवं दक्षिण में भवन नारायणी गुर्जर का है, को क्रय करने तदोपरांत् निर्माण करने हेतु मेरे पक्षकार आधार हाउसिंग फायनेंस लिमि. वित्तीय संस्था के यहां ऋण हेतु आवेदन किया है जिस पर ऋण दिया जाना प्रस्तावित है। भावी बिक्रेता श्री राजवीर सिंह गुर्जर अतिरिक्त बिक्रय किये जाने वाले सर्वे क्रमांको की भूमि के अन्य सहस्वामी है किन्तु भावी बिक्रेता ने अपने हिस्से की संपत्ति में से ही उक्त प्लॉट बिक्रय करने जा रहा है। चूंकि उक्त संपत्ति पर ऋण देना प्रस्तावित है इसलिये यदि उक्त सर्वे क्रमांकों के किसी सहस्वामी को तथा/अथवा भी किसी व्यक्ति, बैंक, संस्था, किसी निकाय आदि को उपरोक्त उपरोक्त वर्णित संपत्ति को बिक्रय किये जाने एवं बंधक किये जाने में कोई या कैसी भी आपत्ति हो तो वह अपनी लिखित आपत्ति इस सूचना पत्र के प्रकाशन से 7 दिवस के अंदर मय दस्तावेजी प्रमाण के नीचे उल्लेखित पते पर प्रस्तुत करें अन्यथा समयोपरांत् आवेदक का ऋण हेतु आवेदन स्वीकार योग्य पाये जाने पर उक्त संपत्ति प्रदत्त ऋण के एवज में उक्त संपत्ति बंधक कर ली जावेगी तदोपरांत् कोई भी आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी। इतिदिनांक 11.04.2026

प्रेषक- गजेन्द्र कुमार भार्गव (एडवोकेट)
कार्या./नि.- हैदरगंज, मामा का बाजार, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.)
कार्या. समय : 7:00 से 9:00 (सुबह एवं शाम)
मो. 9301122311

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग दतिया (म.प्र.)

Phone No.7522-292210 | Email Adress: eepwddatia@mp.nic.in
क्रमांक 854/ टेण्डर/2026-27 | दिनांक 09-4-2026

निविदा सूचना

निम्नानुसार कार्य की निविदा NIT No 02/2026-27/Datia, Date 09-04-2026 वेबसाईट https://mptenders.gov.in/ पर आनलाईन आमंत्रित की जाती है।

क्र.	टेण्डर आई डी	कार्य का नाम	लागत राशि (लाख में)	अमानत राशि	निविदा राशि	समयावधि / आमंत्रण
1.	2026_PWDRB_499045_1	उपसंभाग दतिया के अंतर्गत दबाव संवेदनशील प्रौद्योगिकी द्वारा गड्ढे भरने का कार्य	19.99 लाख	40000.00	2000.00	3 माह
2.	2026_PWDRB_499046_1	उपसंभाग भाण्डेर के अंतर्गत दबाव संवेदनशील प्रौद्योगिकी द्वारा गड्ढे भरने का कार्य	19.99 लाख	40000.00	2000.00	3 माह

1 निविदा आनलाईन प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक 24.04.2026 समय 17.30 तक
2 निविदा दिनांक 27.04.2026 को खोली जावेगी।
3 समस्त दस्तावेज आनलाईन ही मान्य किये जावेंगे। निविदा प्रतिस्पर्धा में सफल ठेकेदार को ऑनलाईन दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत मूल शपथ पत्र अनुबंध के समय देना अनिवार्य होगा।
4 अन्य जानकारी उपरोक्त वेवसाईट पर देखी जा सकती है।
5. ठेकेदार को Insta Road Pather Machine से कार्य करना होगा। निविदा में भाग लेते समय उक्त मशीन के दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे।

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग
संभाग दतिया (म.प्र.)

G-11325/26